कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 3397/ रेनुकूट / 15–6 रेनुकूट,दिनांक,अप्रैल, 05, ,2023

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक(मा0सं0)
एन0टी0पी0सी0रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट,
रिहन्दनगर, बीजपुर जिला–सोनभद्र ।

विषयः– एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर , बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण मे प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध मे ।

संदर्भः– 1–आपका पत्र दिनांक– 27.02.2023
2–इस कार्यालय का पत्रांक– 2893 / रेनुकूट / 15–6 दिनांक– 27.02.2023
3–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक–3096 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक–14.03.2023
4–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–3179 / 11–सीFP/UP/THERMAL/36097/2018लखनऊ दिनांक–03.04.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक–03.04.2023 (छाया प्रति संलग्न) के क्रम मे प्रस्ताव की 3 प्रतियॉ नोडल अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कराते हुए पत्र मे इंगित कमियो का निराकरण प्रभाग मे उपस्थित होकर कराने का कष्ट करे ताकि प्रकरण मे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(स्वतन्त्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

CamScanner

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–3179/11–सी–FP/UP/The/36097/2018, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 03 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः– एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–2217/11–सी–FP/UP/The/36097/2018, दिनांक 30.12.2022 एवं आपका पत्रांक–3096/मी0क्षे0/33, दिनांक 19.03.2023

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित की गयी कमियों का निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.03.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लीज अवधि प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर सही लीज अवधि प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
3. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे0 क्षेत्रफल की SoI टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है।
4. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
5. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष 832 हे0 अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जिसमें वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू0 11,24,61,440/– का उल्लेख है तथा यह धनराशि भाग–2 में भी अपलोड की गयी है, किन्तु आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA हेतु धनराशि रू0 11,26,01,425/– अवशेष जमा की जाने वाली धनराशि के रूप में बताया गया है। प्रस्ताव में संलग्न प्राक्कलन एवं ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड की गयी धनराशि से यह धनराशि भिन्न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में CA हेतु कितनी धनराशि जमा की जानी होगी। अतः प्राक्कलन में स्पष्ट उल्लेख करते हुये सही प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 में धनराशि सहित अपलोड करें।
6. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष 832 हे0 अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जबकि आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र में 561 हे0 अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु पूर्व में धनराशि रू0 3,77,07,615/– प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किये जाने का उल्लेख है। इस संबंध में प्रस्ताव में यह स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि 561 हे0 अवनत वनभूमि में से कितने हे0 अवनत वनभूमि पर वनीकरण कार्य कराया जा चुका है एवं इस हेतु कितनी धनराशि व्यय हुई है तथा कितने अवनत वनभूमि पर अभी वनीकरण कार्य कराया जाना अवशेष है एवं इस हेतु कितनी धनराशि अभी कैम्पा मद में जमा है? प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट उल्लेख करें कि वनीकरण हेतु अवशेष अवनत वनभूमि को क्या 832 हे0 अवनत वनभूमि में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं?
7. प्रकरण का प्रारम्भ से लेकर अब तक का बिन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–3179/11–सी–FP/UP/The/36097/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. उप महाप्रबन्धक (मा0सं0), एन0टी0पी0सी0 रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर, जिला–सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-426

CamScanner